न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 6046 /2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अलोल कंवर पत्नि मूलसिंह 2. हनवन्तसिंह पुत्र मूलसिंह 3. नारायणसिंह पुत्र मूलसिंह 4. प्रेम कवंर पुत्री मूलसिंह 5. श्याम कंवर पुत्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासीगण हरियामाली तह0 सोजत, जिला पाली (राज0)		1. पुकसिंह पुत्र बदनसिंह 2. नाथूसिंह पुत्र बदनसिंह 3. किशनसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत नि0 हरियामाली, तह0 सोजत जिला पाली, (राज0) 4. नन्दा कंवर पुत्री बदनसिंह, जाति राजपूत सा0 हरियामाली। 5. देवीसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राजपूत नि0 बेरा डालीया, कण्टालिया, तह0 मा0ज0, जिला पाली, (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

तारीख रजू 08.10.2015

1. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **श्री जगदीश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।**

—: निर्णय :—

दिनांक :—14.07.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत के ख0नं0 402/1 की जोत में से नया मार्ग/विधमान मार्ग हमारी खातेदारी खसरा संख्या 402/2 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर में आवागमन हेतु 15 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 402/1 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत के ख0न0 402/1 में से 15 फुट चौडा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया है, जो रास्ता प्रार्थीगण की खसराजात भूमि खसरा संख्या 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर तक दिलाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 05 नियम 20 सीपीसी का स्वीकार किया किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 को जरिए अखबार छाया नोटिसेज बावजूद

उपखण्ड अधिकारी सोजत

तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 07.03.2018 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री जगदीश चौधरी ने वकालतनामा व जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 20.03.2018 को पेश किया। दिनांक 07.03.2018 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में जो प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है, वह प्रा0 पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है, क्योकि प्रार्थीया स्वयं ने प्रा0 पत्र के साथ जो राजस्व ट्रेस नक्शा प्रस्तुत किया है, उसको देखने मात्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर रास्ता उपलब्ध है तथा जो प्रार्थीया व अप्रार्थी की खातेदारी के सम्मुख जो राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ता दे रखा है वह रास्ता ग्रेवल सड़क के रूप में हैं, जो रास्ता आगे ग्राम बोरनड़ी जाता है। प्रार्थीया ने 251 'क' का जो प्रा0 पत्र पेश किया है, वह मेलाफाईड इन्टेंशन से किया है, क्योंकि ऐसा कोई खातेदार जिसका खातेदारी में जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो वहीं खातेदार 251 'क' के तहत प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जबकि प्रार्थीया ने खातेदारी का रास्ता नहीं मांग कर मात्र गैर मुमकिन बेरा व गैर मुमकिन सड़ा का रास्ता मांगा है, जो रास्ता रेकर्ड अनुसार उपलब्ध होने से प्रार्थीया की मांग सही नहीं होने से खारिज करने योग्य है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रा0 पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीया ने पूर्व में भी प्रा0 पत्र पेश किया था जो श्रीमान द्वारा अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थीया बार बार अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रा0 प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि अप्रार्थी ने शेष खातेदारी का बंटवाड़ा करवाने के बाबत भी प्रार्थीया को निवेदन किया था लेकिन प्रार्थीया ने अप्रार्थी की मांग को अस्वीकार कर दिया, प्रार्थीया ने मात्र गैर मुमकिन सडा में जाने के लिए रास्ता की मांग है, जो मांग अस्वीकार करने योग्य है। प्रार्थीया द्वारा जिस खसरे में से रास्ते की मांग की गई है, वह गैर मुमकिन सड़ा है, जिसका रकबा बहुत कम है। जिस रकबे में से यदि रास्ता दिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई तरमीम नही किया जा सकता है। प्रार्थीया के आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं। जिसमें से होकर प्रार्थीया आवागमन आसानी से कर रही है। ऐसी सूरत में अन्य कोई रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर उक्त प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईशतदुआ की है।

न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार, सोजत को पत्र क्रमांक/कोर्ट/2019/117–118 दिनांक 06.02.2019 द्वारा लिखा जाकर वर्तमान मौका जांच व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सोजन ने अपने पत्रांक/रीडर/2019/287 दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रस्तुत पटवारी मौका स्थिति की रिपोर्ट में अंकित किया, कि ग्राम हरियामाली के खसरा नंबर 402/2 रकबा 0.0475 किस्म गै0मु0सड़ा का मौका देखा। इस खसरें में जाने हेतु अलोलकंवर पत्नि मूलसिंह कौम राजपूत वगैरह ने राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 251'क' के तहत ख0न0 402/1 रकबा 0.0475 किस्म गै0मु0सड़ा खातेदार पुकसिंह पुत्र बदनसिंह वगैरह के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, सोजत के समक्ष वाद दायर किया है। मौका स्थिति व नजरी नक्शा प्रस्तुत कर बताया है कि उक्त खसरे में से जाने हेतु ख0न0 402/1 में से ही निकटतम दूरी है जिसका एरिया लम्बाई 25 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर कुल रकबा 0.0100 हैक्टर बनता है। वर्तमान डी0एल0सी0 की दर से उक्त प्रस्तावित रास्ते की डी0एल0सी0 दर 3479/– रूपये प्रति एयर के अनुसार एक एयर x 3479 रू0 = 3479/– रू0 की

राशि बनती है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड में जॉच रिपोर्ट पर बहस उभय पक्ष सुनी जाकर पत्रांक/कोर्ट/19/746 दिनांक 30.09.2019 द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि हरियामाली के खसरा नंबर 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर से आवागमन हेतु रास्ता है अथवा नहीं की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/राजस्व/19/3175 दिनांक 24.10.2019 के संलग्न पटवारी हल्का हरियामाली की प्रस्तुत रिपोर्टानुसार उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा हरियामाली के ख0न0 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। दिनांक 19.08.2020 को पटवारी हल्का हरियामाली एवं भू0अभि0निरीक्षण गुडा कलां ने पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है प्रार्थी अलोल कंवर बनाम पुखसिंह प्र0स0 6046/2015 अन्तर्गत प्रार्थीया अपने ख0न0 402/2 में जाने हेतु ख0न0 402/1 में से 4 X 25 मीटर का रास्ता चाहती है। ख0न0 402/1 पुखसिंह पुखसिंह पुत्र बदनसिंह के नाम खातेदार दर्ज है जिसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। ख0न0 402/1 पुखसिंह पुत्र बदनसिंह वगैरह के नाम खातेदार दर्ज है व मौके पर इनका ही कब्जा है। अप्रार्थी पुखसिंह वगैरह 402/1 खसरे में से प्रार्थी को रास्ता देना चाहता है। वहां अप्रार्थी के दोनो तरफ मकान बने हुए है इनके बीच में से पगडण्डी जाने का रास्ता देना चाहता है जिसमें से ट्रेक्टर वगैरह कोई साधन नहीं जा सकता है। इस प्रकार तैयार सुदा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश की है। सा0मि0 है।

दिनांक 28.11.2019 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 1955 का पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नंबर 402/1 ग्राम हरियामाली तह0 सोजत की खातेदारी 402/2 में जाने हेतु नवीन रास्ता हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया, साथ में नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता गै0मु0 सड़ा से सड़े में जाने की मांग की है जो मांग खारीज करने योग्य है। क्योंकि प्रार्थीगण ने जो राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है उसमें राजस्व रेकर्ड में जो रास्ता नक्शा दर्शाया गया है उस रास्ते पर गैवल सड़क बनी हुई है जो कि गै0मु0सड़े के आगे 60–70 फीट आती है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मेल मिलावट कर बाले बाले गै0मु0 सड़े का बंटवाड़ा कर दिया जो कि विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी में जाने हेतु कोई रास्ते की मांग नहीं की है जो कि गै0मु0सड़े से गै0मु0सड़े में जाने की मांग की है। जबकि मौके पर कदीम से गै0मु0सड़े में जाने का रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में नवीन रास्ते की जो मांग की गई है, वो सारहीन होने से खारीज योग्य है। खसरा नंबर 401 किबर 0.0100 हैक्टर किस्म गै0मु0बेरा व खसरा नंबर 402 मिन रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म गै0मु0सड़ा में संलग्न जमाबंदी अनुसार मूलाराम पुत्र चुतराराम 1/8 हिस्सा, हरीराम पुत्र मूलाराम, थानाराम पुत्र चुतराराम 1/8 हिस्सा, चन्दप्रकाश पुत्र गणेशराम, संतोष देवी बेवा गणेशराम का 1/8 हिस्सा, बदनसिंह पुत्र सरदारसिंह 1/4 हिस्सा, मूलसिंह पुत्र भूरसिंह 1/4 हिस्सा जिसमें बदनसिंह व मूलसिह फौत हो चुके है जिसके विधिक वारिसान रेकर्ड पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने मौके पर रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नवीन रास्ते की मांग की है, जो मांग प्रार्थीगण की स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है। विधि का यह सिद्धान्त है कि उपलब्ध रास्ता होने पर नवीन रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2016(1) पेज संख्या 649 में धारा 251क में यह स्पष्ट किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था तो सीधे मार्ग का दावा नहीं कर

उपखण्ड अधिकारी सोजत

सकता ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र खारिज किया। आर0आर0टी0 2017(1) पेज संख्या 423 सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता है।. आर0आर0टी0 2016–17(SUPP) पेज संख्या 677 वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रास्ता दिया जा सकता है न की सुविधा अनुसार। माननीय न्यायालय की मन्शा है कि यदि खातेदार को अपनी खातेदारी में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251 क के तहत रास्ता उपलब्ध कराने की कानून की मंशा है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को गै0मु0सड़े में जाने का रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत के ख0नं0 402/1 की जोत में से नया मार्ग/विधमान मार्ग हमारी खातेदारी खसरा संख्या 402/2 तक जाने हेतु अर्थात् आवागमन हेतु 15 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 402/1 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने चूंकि सारांशतः पटवारी हल्का रिपोर्टानुसार सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत के ख0न0 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर किस्म गै0मु0सडा में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 402/1 रकबा 0.0475 हैक्टर में से 15 फुट चौडा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया है, जो रास्ता प्रार्थीगण की खसराजात भूमि खसरा संख्या 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर तक दिलाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षो की सुनी गई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र जबाब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टस मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया एवं बहस वकुलाय पर ग़ौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 402/1 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा हरियामाली पटवार हल्का हरियामाली भू0अ0नि0 गुडा कलां तह0 सोजत जिला पाली खसरा नम्बर 402/2 रकबा 0.0475 हैक्टर गै0मु0सड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर कृषि कार्य आने जाने के, उपभोग हेतु अर्थात् आवागमन (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 402/1 रकबा 0.0475 किस्म गै0मु0सडा मे से **25 मीटर x 4 मीटर = 100 वर्ग मीटर** अर्थात् 0.0100 हैक्टर रास्ता दिया जाता है। जिसकी डीएल सी दर के हिसाब से **25 मीटर x 4 मीटर = 100 वर्ग मीटर अर्थात (0.0100 हैक्टर** अर्थात् एक एयर)**x** 3479 प्रति एयर **x 2 =** 6958/–रूपये) अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि 0.0100 हैक्टर की 3479/–प्रति हैक्टर से दोगुणा 6958/–रू0 उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क0सं0	ख0नं0	रकबा (है0) में	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	प्रतिकर की राशि रू0 में
1	402/1	0.0475	(4X25) = 0.0100 है0	पुकसिंह पुत्र बदनसिंह 1/5	1391.6/–
				नाथूसिह पुत्र बदनसिंह 1/5	1391.6/–
				किशनसिंह पुत्र बदनसिंह 1/5	1391.6/–
				नन्दा कंवर पुत्री बदनसिंह 1/5	1391.6/–
				देवीसिंह पुत्र बदनसिंह 1/5	1391.6/–
				जातिगण राजपूत नि0 हरियामाली, तह0 सोजत जिला पाली राज0।	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत